18

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय

[बीएसएनएल और एमटीएनएल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय]

अठारहवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

अठारहवाँ प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

[बीएसएनएल और एमटीएनएल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय]

संचार मंत्रालय

21.12.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.12.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवाल

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/ अग्रहायण, 1944 (शक)

सी.ओ.ओबीसी सं.

मूल्य: रूपये-------

@ 2022 लोक सभा सचिवालय द्वारा

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के (रणपंद्रहवां संस्क)नियम के अंतर्गत 382 प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना (2021-22 और 2022-23).....		(iii)
प्राक्कथन.....		(vi)
.....		
	भाग – एक	
	व्याख्यात्मक विश्लेषण	
अध्याय एक	प्रस्तावना	1
अध्याय दो	बीएसएनएल और एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व.....	8
अध्याय तीन	बीएसएनएल और एमटीएनएल में भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्व्यन कार्यान्वयन.....	16
अध्याय चार	बीएसएनएल और एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय.....	34
	भाग – दो	
	टिप्पिणयां/सिफारिशें	
	अनुबंध	
अनुबंध एक	01.10.200 के पश्चात बीएसएनएल में चयनित जे.ई.(टेलीकॉम) की संख्या	48
अनुबंध दो	बीएसएनएल मे विभिन्न संवर्गों मे भर्ती, रिक्तियों तथा शॉर्ट फॉल का विवरण	49
अनुबंध तीन	बीएसएनएल मे अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती का वर्षवार विवरण	50
	परिशिष्ट	
एक.	24.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	51
दो.	.12.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	54

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की संरचना (2021-22)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

लोक सभा

सदस्य

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री बंदी संजय कुमार
4. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
5. श्री रमेश बिधूड़ी
6. सुश्री एस. जोतिमणि
7. श्री दिलेश्वर कामैत
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो
10. डॉ. संघमित्रा मौर्य
11. श्री अनुभव मोहंती
12. डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
13. श्री बालक नाथ
14. श्री अजय निषाद
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री राम शिरोमणि वर्मा
17. श्री के. सुधाकरन
18. श्री अशोक कुमार यादव
19. श्री प्रदान बरुवा
20. श्री चुन्नीलाल साहू

राज्य सभा

21. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
22. श्री टी.के.एस. एलंगोवन
23. श्री नारायण कोरागप्पा
24. श्री जयप्रकाश निषाद
25. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
26. श्रीमती छाया वर्मा
27. श्री हरनाथ सिंह यादव
28. श्री सकलदीप राजभर
29. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
30. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला*

* 16.03.2022 से निर्वाचित

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की संरचना (2022-23)

श्री राजेश वर्मा - सभापति

लोक सभा

सदस्य

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री बंदी संजय कुमार
4. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
5. श्री रमेश बिधूड़ी
6. श्री दिलेश्वर कामैत
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज
9. सुश्री एस. जोतिमणि
10. श्री पी सी मोहन
11. डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
12. श्री रोडमल नागर
13. श्री बालक नाथ
14. श्री अजय निषाद
15. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
16. श्री चुन्नीलाल साहू
17. श्री चंद्र शेखर साहू
18. श्री के. सुधाकरन
19. श्री अशोक कुमार यादव
20. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

21. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
22. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
23. श्री राजेन्द्र गहलोत
24. श्री नारायण कोरागप्पा
25. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
26. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
27. श्री सकलदीप राजभर
28. श्री राम नाथ ठाकुर
29. श्री हरनाथ सिंह यादव
30. रिक्त*

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के राज्य सभा से सेवानिवृत होने के कारण रिक्त।

सचिवालय

1.	श्री पुलिन बी. भूटिया	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री महेश्वर	-	निदेशक
3.	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव
4.	श्री हेमंत कुमार	-	ए.ई.ओ.

प्राक्कथन

मैं, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय से संबंधित 'बीएसएनएल और एमटीएनएल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर यह अठारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने इस विषय की जांच के संबंध में संचार मंत्रालय और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के प्रतिनिधियों का 24.03.2022 को साक्ष्य लिया। समिति इस विषय की जांच के संबंध में संचार मंत्रालय और बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती है।

3. समिति ने 15.12.2022 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. समिति से सम्बद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा समिति को बहुमूल्य सहायता देने के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग - दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

15 दिसंबर, 2022

24 अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेश वर्मा,

सभापति,

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

अध्याय - एक

भाग - एक

प्रतिवेदन

प्रस्तावना

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

1.1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना 15 सितम्बर, 2000 को की गई थी और इसने 01.10.2000 को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार के दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) और दूरसंचार प्रचालन विभाग (डीटीओ) से दूरसंचार सेवाएं और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करने का व्यवसाय अपने हाथ में ले लिया था। यह भारत में दूरसंचार सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करने वाली सबसे बड़ी और रणनीतिक सरकारी क्षेत्र की इकाई है।

1.2 बीएसएनएल दूरसंचार सेवाओं का पूरा समुच्चय अर्थात वायर-लाइन, 3जी और मूल्य वर्धित सेवा (वीएएस) सहित ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल (जीएसएम), फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सहित ब्रॉड बैंड (बीबी) सेवाएं, आईएन सेवाएं, एंटरप्राइज डेटा सर्विसेज, डेटा सैंटर सेवाएं, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा/ लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं और उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करता है। इसने देश में एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया है और अब इसे सुदृढ़ करने और विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

1.3 बीएसएनएल **'कनेक्टिंग इंडिया'** के अपने आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसने देश के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करके देश के सतत

आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में ऐसा कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो देश के हर नुक्कड़ और कोने में अपनी पहुंच और रणनीतिक उपस्थिति समानांतर रूप से दर्शाता है।

1.4 बीएसएनएल एकमात्र सेवा प्रदाता है, जो आईसीटी क्षेत्र में ग्रामीण शहरी डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए केंद्रित प्रयास और योजनाबद्ध पहल कर रहा है। बीएसएनएल की देश के दूरसंचार क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका है और प्राकृतिक आपदा/आपदाओं के समय, सभी बाधाओं के रहते हुए सफलतापूर्वक संपर्कता (कनेक्टिविटी) प्रदान कर रहा है।

1.5 बीएसएनएल 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका अधिकांश कार्यबल मूल रूप से डीटीएस और डीटीओ से स्थानांतरित किया गया था। उनका वेतन व्यय अत्यधिक था और चूंकि कंपनी घाटे में थी, इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बीएसएनएल के लिए एक विशेष वीआरएस योजना/पैकेज की घोषणा की गई थी। लगभग 78,500 कर्मचारियों ने वीआरएस योजना का विकल्प चुना है और 31.03.2021 तक, बीएसएनएल के पास लगभग 64,000 कर्मचारियों के कुशल कार्यबल का आधार है।

संगठनात्मक ढांचा

1.6 समिति ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में निदेशक मंडल की संरचना के बारे में जानना चाहा। संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने बताया-

> "बीएसएनएल के निदेशक मंडल में 12 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से छह (सीएमडी सहित) पूर्णकालिक निदेशक हैं; 2 सरकारी नामित निदेशक और 4 गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक हैं। इस प्रकार, बोर्ड में 50% पूर्णकालिक और 50% अंशकालिक निदेशकों का इष्टतम मिश्रण है। यह

संयोजन गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुसार है, जिसे लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।"

1.7 प्रतिनिधियों ने साक्ष्य में बताया कि-

"बीएसएनएल प्रबंधन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें वर्तमान में छह कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी सहित) और दो सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।"

1.8 बीएसएनएल के बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन निकाय में पद पर आसीन ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने बताया-

"निदेशक मंडल या कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों अथवा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) की नियुक्ति हेतु लोक उद्यम विभाग (डीपीई) अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई द्वारा दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा. और उसके बाद दिनांक 13.11.1995 के का.ज्ञा. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और ये अधिकारी सामान्य तौर पर संबंधित सीपीएसई को देखते हैं।

गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) की नियुक्ति डीपीई की खोज समिति की सिफारिश और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

समिति ने बीएसएनएल में निदेशक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व न होने के कारणों के बारे में भी पूछा। बीएसएनएल के प्रतिनिधि ने बताया-

"निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है। इस प्रक्रिया में जाति से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है और इसलिए, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार, निदेशकों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन पर की जाती है।"

<u>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)</u>

1.9 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 28 फरवरी, 1986 को कंपनी अधिनियम के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसने 01 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन, संचालन की जिम्मेदारी संभाली। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा का प्रमुख प्रदाता है और जीएसएम मोबाइल सेवाएं दिल्ली शहर के साथ इसके चार परिधीय शहर नोएडा, गुड़गांव (अब गुरुग्राम), फरीदाबाद और गाजियाबाद और मुंबई शहर के साथ मुंबई नगर निगम, नई मुंबई निगम और ठाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल2+

प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। एमटीएनएल ने अगस्त 2008 में आवंटित स्पेक्ट्रम के मुकाबले 2008 में 3जी सेवाएं शुरू की थीं।

1.10 कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये है और चुकता शेयर पूंजी 630 करोड़ रुपये है। वर्तमान में 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास हैं और शेष 43.75% शेयर वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, एडीआर (अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स) धारकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास हैं जिन्हें 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। एमटीएनएल के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और ओटीसीक्यूएक्स (ओवर द काउंटर एक्सचेंज) में सूचीबद्ध हैं। एमटीएनएल अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के माध्यम से निर्बाध रूप से दूरसंचार प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल नेपाल में अपने संयुक्त उद्यमों और यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) और मॉरीशस में अपनी 100% सहायक कंपनी महानगर टेलीकॉम मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) के माध्यम से मौजूद है।

<u>सहायक कम्पनियां</u>

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड (एमटीएमएल) (पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी)

1.11 महानगर टेलीकॉम मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएमएल) की 100% सहायक कंपनी है। कंपनी के पास मोबाइल सेवाओं, लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस है। एमटीएमएल पूरे द्वीप पर 2जी/3जी नेटवर्क वाली प्रौद्योगिकी के नवीनतम रूप द्वारा मोबाइल सेवाएं और कुल आबादी के 90% से अधिक को कवर करने वाली 4जी (एलटीई) सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी का प्रबंधन

सीईओ, सीटीओ, सीएफओ तथा 10 और अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो सभी मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) (पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी)

1.12 मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत फरवरी 2000 में शामिल किया गया था। एमटीएनएल द्वारा दी जा रही सेवाओं में दूरसंचार परामर्श और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, वाई-फाई सोल्यूशन, ई-गवर्नेंस पर परियोजना, प्रबंधित सेवाएं, टर्नकी आईसीटी समाधान आदि शामिल हैं।

<u>संयुक्त उद्यम</u>

एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएसएल)

1.13 एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएसएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है। एमएसआईटीएसएल को 31/03/2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था। एमएसआईटीएसएल ने एसटीपीआई से लीज के आधार पर ली गई जगह पर चेन्नई में अत्याधुनिक टियर III डेटा सेंटर के भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की है।

यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल), नेपाल

1.14 यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें टीसीएल, टीसीआईएल, एनवीपीएल (नेपाल) और एमटीएनएल शामिल हैं। कंपनी नेपाल में मोबाइल/आईएलडी/डेटा सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में एमटीएनएल के पास यूटीएल की इक्विटी का 26.68% हिस्सा है। कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है।

अध्याय - दो

बीएसएनएल में ओबीसी का आरक्षण

2.1 विभिन्न स्तरों के पदों/वर्गों/वेतनमानों में कुल कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान में वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"दिनांक 24.03.2022 की बैठक में माननीय समिति को प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, 28.02.2022 तक कार्यरत बीएसएनएल कर्मचारियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी का प्रतिनिधित्व	ओबीसी का प्रतिशत (%)
कार्यकारी (अर्थात ग्रेड बी और ऊपर)	29693	8094	27.26
गैर- कार्यकारी (अर्थात ग्रेड सी और डी)	32711	4956	15.15
कुल	62404	13050	20.91

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है।

हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

2.2 समिति ने संगठन में वेतनमान सहित ऐसे सभी पदों की श्रेणियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) जिनमें ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया-

पद	संवर्ग	वेतनमान	तकनीकी/गैर-तकनिकी	प्रकार
डीआर-डीजीएम	कार्यकारी	32900-58000	तकनीकी	अखिल भारत
एमटी		24900-50500	तकनीकी	अखिल भारत
कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी		16400-40500	तकनीकी	सर्कल वार
कनिष्ठ लेखा अधिकारी		16400-40500	गैर-तकनीकी	सर्कल वार
कनिष्ठ इंजीनियर (टीटीए)	गैर-कार्यकारी	13600-25420	तकनीकी	सर्कल वार

दिनांक 24.03.2022 की बैठक में माननीय समिति को प्रस्तुत उत्तर के अनुसार 28.02.2022 को कार्यरत बीएसएनएल कर्मचारियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

क्रम सं.		कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	29693	32711	62404
2	ओबीसी	8094	4956	13050
3	ओबीसी प्रतिनिधित्व का %	27.26%	15.15%	20.91%

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है। हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

2.3 जब समिति ने बीएसएनएल के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानना चाहा, तब साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में पाँच कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक हैं। चूंकि उन्हें पी.ई.एस.बी. और ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए उनकी जाति संबंधी जानकारी नहीं मांगी जाती है। अभी हमारे पास उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं है।

एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

2.4 समिति ने पदों की विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी के आरक्षण हेतु नीति के कार्यान्वयन और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र के बारे में जानना चाहा। संचार मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "एमटीएनएल सीधी भर्ती में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अ.प.वर्ग संबंधी आरक्षण नीतियों पर दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है, जैसा कि ऊपर बिंदु 3 में बताया गया है और एमटीएनएल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.वर्ग के लिए सभी रियायतें और छूट प्रदान कर रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बदलाव का हमारी कर्मचारी आवश्यकताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कम भर्ती हुई है। एमटीएनएल के पास पहले से ही पर्याप्त कार्यबल है और केवल आवश्यकता आधारित भर्ती की जा रही है। एमटीएनएल में सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट स्कोर के माध्यम से की जाती है।"

2.5 एमटीएनएल के बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन निकाय पदों पर आसीन ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एमटीएनएल भारत सरकार का उद्यम [सीपीएसई] होने के नाते, निदेशकों [कार्यात्मक/अंशकालिक आधिकारिक/गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र)] की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा [प्रशासनिक विभाग अर्थात डीओटी के माध्यम से] कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद संख्या

66 ए-(आई) के तहत की जाती है, जिसमें "भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति" का प्रावधान है।

निदेशक मंडल या कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों अथवा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) की नियुक्ति हेतु लोक उद्यम विभाग (डीपीई) अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई द्वारा दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा. और उसके बाद दिनांक 13.11.1995 के का.ज्ञा. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और ये संबन्धित मंत्रालय के अधिकारी सामान्य तौर पर संबंधित सीपीएसई को देखते हैं।

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई की खोज समिति की सिफारिश और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।"

2.6 एमटीएनएल में विभिन्न स्तरों पर पदों/वर्गों/वेतनमान में कुल कर्मचारियों और ओबीसी कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, 30.06.2021 तक एमटीएनएल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी का प्रतिशत
कार्यकारी	1241	214	17.2%
गैर-कार्यकारी	2598	137	5.2%
कुल	3839	351	9.1%

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि एमटीएनएल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवर्गों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27% के अनिवार्य कोटे से अत्यंत कम **(9.1%)** है।

2.7 जब समिति ने एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों के इतने कम प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान बताया कि वर्तमान में एमटीएनएल में कुल कर्मचारियों की संख्या 3,893 है। 1,241 कर्मचारी कार्यकारी श्रेणी में हैं और उनमें से बाकी गैर-कार्यकारी श्रेणी में हैं। इन कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों में से 214 ओबीसी श्रेणी के हैं जो 17.2 प्रतिशत हैं। भर्ती किए गए 2,598 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों में से 137 ओबीसी श्रेणी के हैं, जो 5.2 प्रतिशत है। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को अवसोशन के आधार पर एमटीएनएल में समूहिक रूप के स्थानांतरित किया गया था और उनमे से अधिकांश को ओबीसी आरक्षण की शुरुआत से पहले डीओटी मे भर्ती किया गया था । इसलिए इसका पृथक डाटा नहीं रखा गया है।

2.8 समिति ने संगठन (तकनीकी और गैर-तकनीकी) में ऐसे सभी पदों सहित संबंधित वेतनमानों के साथ पदों की श्रेणियों के बारे में जानना चाहा जिसके लिए एमटीएनएल में ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, मंत्रालय ने बताया कि-

एमटीएनएल पदों की विभिन्न श्रेणियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) में अन्य पिछडे वर्गों के संबंध में आरक्षण नीति कार्यान्वित कर रहा है। यह अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के संबंध में भर्ती नियमों (आरआर) और नीतियों में देखा जा सकता है, जिसमें वेतनमान निम्नवत हैं:-

गैर-कार्यकारी: (तकनीकी)

क्रम सं.	**पद**	**वेतनमान**
1	दूरसंचार यांत्रिकी	11500- 24970 (एनई-6)
2.	दूरसंचार तकनीकी सहायक	13500-29300 (एनई-8)

कार्यकारी: (तकनीकी/गैर-तकनीकी)

पद	वेतनमान
सहायक प्रबंधक	20600-46500 (ई-2)

2.9 समिति ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की दो सहायक कम्पनियों महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) और यूनाइटेड

टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल) में की गई विभिन्न नियुक्तियों में लागू की जा रही आरक्षण नीति के बारे में जानना चाहा, विभाग के प्रतिनिधि ने बताया:-

"महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) और यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल) के लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। एमटीएनएल के कर्मचारियों (तकनीकी और गैर तकनीकी संवर्ग दोनों से) को इन सहायक कंपनियों में कार्यकरण के संचालन के लिए एक निश्चित अवधि हेतु एमटीएनएल की इन सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।"

अध्याय - तीन

बीएसएनएल में भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

3.1 समिति ने पदों की विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने बताया कि:-

"एमटीएनएल सीधी भर्ती में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अ.प.वर्ग संबंधी आरक्षण नीतियों पर दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है, जैसा कि ऊपर बिंदु 3 में बताया गया है और एमटीएनएल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.वर्ग के लिए सभी रियायतें और छूट प्रदान कर रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बदलाव का हमारी कर्मचारी आवश्यकताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कम भर्ती हुई है। एमटीएनएल के पास पहले से ही पर्याप्त कार्यबल है और केवल आवश्यकता आधारित भर्ती की जा रही है। एमटीएनएल में सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट स्कोर के माध्यम से की जाती है।"

3.2 समिति को सूचित किया गया कि 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

क्रम सं.		कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	29693	32711	62404
2	ओबीसी	8094	4956	13050

3	ओबीसी प्रतिनिधित्व का %	27.26%	15.15%	20.91%

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है। हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

3.3 उपर्युक्त जानकारी से, समिति ने ओबीसी आरक्षण के 27% लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने चूंकि ओबीसी आरक्षण नीति की शुरुआत के बाद से लगभग तीन दशक हो गए हैं, के कारणों के बारे में पूछा। समिति ने पाया कि वर्तमान में कुल 62404 कर्मचारियों में से 13050 कर्मचारी ओबीसी हैं, जो केवल 20.91% है। मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

गैर कार्यकारी श्रेणी में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. दूरसंचार विभाग की अवधि में आकस्मिक मजदूर का आमेलन: बीएसएनएल मे अधिकांश गैर-कार्यकारी मौजूदा टीएमएस और पूर्व डीटीओ के समूह सी और डी कर्मचारी है । दूरसंचार विभाग के मौजूदा कर्मचारियों से जाति /वर्ग के आधार पर बिना किसी आरक्षण के बीएसएनएल मे आमेलन मे भाग लेने के विकल्प मांगे गए थे । बएसएनएल के गथन के बाद 2000 से, गैरकार्यकारी संवर्ग में सीधी - :भर्ती केवल निम्नलिखित श्रेणियों में की जा रही है
   (क) अनुकंपा आधार नियुक्ति)सीजीए:(डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीए, जाति/वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण प्रदान नहीं

करता है। यह मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को उसकी दयनीय स्थिति के आधार पर दिया जाता है। सीजीए कर्मचारियों की वर्तमान (28.02.2022 तक) संख्या 5736 है।

(ख) जेई सीधी भर्ती)तत्कालीन टीटीए:(दूसरी ओर, बीएसएनएल की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार सभी मानदंडों का पालन करते हुए बीएसएनएल में सीधी भर्ती की गई है। जेई)टेलीकॉम (की वर्तमान संख्या, जिसमें 01.10.2000 के बाद भर्ती किए गए जेई शामिल हैं, 5147 हैं, जिनमें से 1849 अ.पि.व.)ओबीसी (श्रेणी)35.92%) हैं, जो अनुलग्नक -XIII पर है। इससे पता चलता है कि सीधी भर्ती में जेई का प्रतिनिधित्व मानदंडों के अनुसार है।

2. वीआरएस-2019 योजना का कार्यान्वयन: सामूहिक वीआरएस, जो 31.01.2020 को समाप्त हुआ, के दौरान कर्मचारी की निकासी उनकी इच्छा अनुसार थी और इसमें किसी भी आरक्षण मानदंड का पालन नहीं किया गया था। बीएसएनएल में ओबीसी प्रतिनिधित्व में कमी का यह भी एक कारण है।

3.4 समिति ने बीएसएनएल में कार्यकारी और गैर कार्यकारी श्रेणी के पदों पर ओबीसी के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मांगी, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि 62 हजार कर्मचारी हैं जिनमें से 29 हजार कार्यकारी श्रेणी के हैं और लगभग 32 हजार गैर- कार्यकारी श्रेणी के हैं। कार्यकारी श्रेणी में 29,693 में से 8,094 कर्मचारी ओबीसी श्रेणी के हैं जो 27.26 फीसदी हैं और इसी तरह गैर-कार्यकारी श्रेणी में 32,711 में से 4,956 कर्मचारी ओबीसी श्रेणी के हैं, जो 15.15 % है। इस प्रकार ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व 20.91% है।

3.5 बीएसएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों की कमी और बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में समिति को बताया गया था कि:-

"जी हाँ, रजिस्टर में अ.पि.वर्ग के लिए वर्षवार रिक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है। अ.पि.वर्ग श्रेणी के लिए नहीं भरी गई आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की अवधारणा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2008-स्था.(आरईएस.) दिनांक 15.07.2008 के जारी होने तक लागू नहीं हुई थी। डीआर-डीजीएम की भर्ती जरूरत के आधार पर 2010 और 2017 में आयोजित की गई थी। 2010 में डीजीएम भर्ती में कमी पर 2017 में नई भर्ती के समय विधिवत विचार किया गया है।

विभिन्न संवर्गों में भर्ती और कमी/बैकलॉग का विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

3.6 बीएसएनएल/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 27% आरक्षण का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए, हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि:-

"हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में, बीएसएनएल वीआरएस-2019 को लागू किया गया है जिसमें बीएसएनएल ने 78000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर वीआरएस स्वीकार किया है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार ने बीएसएनएल में 2019 में 68,984 करोड़ रुपये का एक पुनरुद्धार पैकेज भी लागू किया है। एक बार बीएसएनएल की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बाद, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण के सभी मानदंडों का पालन

करते हुए, भविष्य में भर्तियां की जाएंगी। भविष्य की भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सभी ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।

3.7 बैकलॉग रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों के कारणों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"डायरेक्ट डीजीएम [प्रत्यक्ष रूप से भर्ती उप महाप्रबंधक] (डीआर-डीजीएम)/जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (टेलीकॉम/सिविल/ इलेक्ट्रिकल/आर्क)/ जूनियर अकाउंट ऑफिसर (जेएओ)/ जूनियर इंजीनियर (टीटीए) कैडर की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है जिसमें आरक्षण (ओबीसी) पर विचार किया जाता है। बीएसएनएल के गठन के बाद अब तक ओबीसी श्रेणी के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

पद का स्तर	वर्ष	बैकलॉग/कमी रिक्तियों की संख्या
ग्रुप 'ए' (डीआर-डीजीएम) (दूरसंचार + वित्त)	2017	47 (33+14)
ग्रुप 'बी'		
जेटीओ (टी)	2017	154
जेटीओ (ई)	डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है	71
जेटीओ (सी)		41
जेएओ	2015	17

(क) वर्ष 2001 से 2007 के बीच आयोजित जेटीओ संवर्ग में सीधी भर्ती।

अध्याय - एक

भाग - एक

प्रतिवेदन

प्रस्तावना

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

1.1 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना 15 सितम्बर, 2000 को की गई थी और इसने 01.10.2000 को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार के दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस) और दूरसंचार प्रचालन विभाग (डीटीओ) से दूरसंचार सेवाएं और नेटवर्क प्रबंधन प्रदान करने का व्यवसाय अपने हाथ में ले लिया था। यह भारत में दूरसंचार सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करने वाली सबसे बड़ी और रणनीतिक सरकारी क्षेत्र की इकाई है।

1.2 बीएसएनएल दूरसंचार सेवाओं का पूरा समुच्चय अर्थात वायर-लाइन, 3जी और मूल्य वर्धित सेवा (वीएएस) सहित ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल (जीएसएम), फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) सहित ब्रॉड बैंड (बीबी) सेवाएं, आईएन सेवाएं, एंटरप्राइज डेटा सर्विसेज, डेटा सेंटर सेवाएं, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा/ लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं और उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करता है। इसने देश में एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित किया है और अब इसे सुदृढ़ करने और विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

1.3 बीएसएनएल **'कनेक्टिंग इंडिया'** के अपने आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसने देश के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों और दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कुशलतापूर्वक और जिम्मेदारी से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करके देश के सतत

आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में ऐसा कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जो देश के हर नुक्कड़ और कोने में अपनी पहुंच और रणनीतिक उपस्थिति समानांतर रूप से दर्शाता है।

1.4 बीएसएनएल एकमात्र सेवा प्रदाता है, जो आईसीटी क्षेत्र में ग्रामीण शहरी डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए केंद्रित प्रयास और योजनाबद्ध पहल कर रहा है। बीएसएनएल की देश के दूरसंचार क्षेत्र में एक रणनीतिक भूमिका है और प्राकृतिक आपदा/आपदाओं के समय, सभी बाधाओं के रहते हुए सफलतापूर्वक संपर्कता (कनेक्टिविटी) प्रदान कर रहा है।

1.5 बीएसएनएल 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसका अधिकांश कार्यबल मूल रूप से डीटीएस और डीटीओ से स्थानांतरित किया गया था। उनका वेतन व्यय अत्यधिक था और चूंकि कंपनी घाटे में थी, इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में बीएसएनएल के लिए एक विशेष वीआरएस योजना/पैकेज की घोषणा की गई थी। लगभग 78,500 कर्मचारियों ने वीआरएस योजना का विकल्प चुना है और 31.03.2021 तक, बीएसएनएल के पास लगभग 64,000 कर्मचारियों के कुशल कार्यबल का आधार है।

संगठनात्मक ढांचा

1.6 समिति ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में निदेशक मंडल की संरचना के बारे में जानना चाहा। संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने बताया-

> "बीएसएनएल के निदेशक मंडल में 12 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से छह (सीएमडी सहित) पूर्णकालिक निदेशक हैं; 2 सरकारी नामित निदेशक और 4 गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक हैं। इस प्रकार, बोर्ड में 50% पूर्णकालिक और 50% अंशकालिक निदेशकों का इष्टतम मिश्रण है। यह

संयोजन गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुसार है, जिसे लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है।"

1.7 प्रतिनिधियों ने साक्ष्य में बताया कि-

"बीएसएनएल प्रबंधन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें वर्तमान में छह कार्यात्मक निदेशक (सीएमडी सहित) और दो सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।"

1.8 बीएसएनएल के बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन निकाय में पद पर आसीन ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने बताया-

"निदेशक मंडल या कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों अथवा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) की नियुक्ति हेतु लोक उद्यम विभाग (डीपीई) अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई द्वारा दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा. और उसके बाद दिनांक 13.11.1995 के का.ज्ञा. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और ये अधिकारी सामान्य तौर पर संबंधित सीपीएसई को देखते हैं।

गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र) की नियुक्ति डीपीई की खोज समिति की सिफारिश और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

समिति ने बीएसएनएल में निदेशक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व न होने के कारणों के बारे में भी पूछा। बीएसएनएल के प्रतिनिधि ने बताया-

"निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है। इस प्रक्रिया में जाति से संबंधित कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है और इसलिए, उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार, निदेशकों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदन पर की जाती है।"

<u>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)</u>

1.9 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को 28 फरवरी, 1986 को कंपनी अधिनियम के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और इसने 01 अप्रैल, 1986 को दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन, संचालन की जिम्मेदारी संभाली। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा का प्रमुख प्रदाता है और जीएसएम मोबाइल सेवाएं दिल्ली शहर के साथ इसके चार परिधीय शहर नोएडा, गुड़गांव (अब गुरुग्राम), फरीदाबाद और गाजियाबाद और मुंबई शहर के साथ मुंबई नगर निगम, नई मुंबई निगम और ठाणे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए है। एमटीएनएल ने वर्ष 2005 में अत्याधुनिक एडीएसएल2+

प्रौद्योगिकी पर आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। एमटीएनएल ने अगस्त 2008 में आवंटित स्पेक्ट्रम के मुकाबले 2008 में 3जी सेवाएं शुरू की थीं।

1.10 कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,000 करोड़ रुपये है और चुकता शेयर पूंजी 630 करोड़ रुपये है। वर्तमान में 56.25% इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के पास हैं और शेष 43.75% शेयर वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, एडीआर (अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स) धारकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास हैं जिन्हें 1997 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। एमटीएनएल के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और ओटीसीक्यूएक्स (ओवर द काउंटर एक्सचेंज) में सूचीबद्ध हैं। एमटीएनएल अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के माध्यम से निर्बाध रूप से दूरसंचार प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल नेपाल में अपने संयुक्त उद्यमों और यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) और मॉरीशस में अपनी 100% सहायक कंपनी महानगर टेलीकॉम मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) के माध्यम से मौजूद है।

<u>सहायक कम्पनियां</u>

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड (एमटीएमएल) (पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी)

1.11 महानगर टेलीकॉम मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएमएल) की 100% सहायक कंपनी है। कंपनी के पास मोबाइल सेवाओं, लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं के लिए लाइसेंस है। एमटीएमएल पूरे द्वीप पर 2जी/3जी नेटवर्क वाली प्रौद्योगिकी के नवीनतम रूप द्वारा मोबाइल सेवाएं और कुल आबादी के 90% से अधिक को कवर करने वाली 4जी (एलटीई) सेवाएं प्रदान कर रहा है। कंपनी का प्रबंधन

सीईओ, सीटीओ, सीएफओ तथा 10 और अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो सभी मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर हैं।

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) (पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी)

1.12 मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत फरवरी 2000 में शामिल किया गया था। एमटीएनएल द्वारा दी जा रही सेवाओं में दूरसंचार परामर्श और इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, वाई-फाई सोल्यूशन, ई-गवर्नेंस पर परियोजना, प्रबंधित सेवाएं, टर्नकी आईसीटी समाधान आदि शामिल हैं।

<u>संयुक्त उद्यम</u>

एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएसएल)

1.13 एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएसएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी है। एमएसआईटीएसएल को 31/03/2006 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था। एमएसआईटीएसएल ने एसटीपीआई से लीज के आधार पर ली गई जगह पर चेन्नई में अत्याधुनिक टियर III डेटा सेंटर के भौतिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की है।

यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल), नेपाल

1.14 यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें टीसीएल, टीसीआईएल, एनवीपीएल (नेपाल) और एमटीएनएल शामिल हैं। कंपनी नेपाल में मोबाइल/आईएलडी/डेटा सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में एमटीएनएल के पास यूटीएल की इक्विटी का 26.68% हिस्सा है। कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है।

अध्याय - दो

बीएसएनएल में ओबीसी का आरक्षण

2.1 विभिन्न स्तरों के पदों/वर्गों/वेतनमानों में कुल कर्मचारियों की संख्या और वर्तमान में वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"दिनांक 24.03.2022 की बैठक में माननीय समिति को प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, 28.02.2022 तक कार्यरत बीएसएनएल कर्मचारियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी का प्रतिनिधित्व	ओबीसी का प्रतिशत (%)
कार्यकारी (अर्थात ग्रेड बी और ऊपर)	29693	8094	27.26
गैर- कार्यकारी (अर्थात ग्रेड सी और डी)	32711	4956	15.15
कुल	62404	13050	20.91

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है।

हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

2.2 समिति ने संगठन में वेतनमान सहित ऐसे सभी पदों की श्रेणियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) जिनमें ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया-

पद	संवर्ग	वेतनमान	तकनीकी/गैर-तकनिकी	प्रकार
डीआर-डीजीएम	कार्यकारी	32900-58000	तकनीकी	अखिल भारत
एमटी		24900-50500	तकनीकी	अखिल भारत
कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी		16400-40500	तकनीकी	सर्कल वार
कनिष्ठ लेखा अधिकारी		16400-40500	गैर-तकनीकी	सर्कल वार
कनिष्ठ इंजीनियर (टीटीए)	गैर-कार्यकारी	13600-25420	तकनीकी	सर्कल वार

दिनांक 24.03.2022 की बैठक में माननीय समिति को प्रस्तुत उत्तर के अनुसार 28.02.2022 को कार्यरत बीएसएनएल कर्मचारियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:-

क्रम सं.		कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	29693	32711	62404
2	ओबीसी	8094	4956	13050
3	ओबीसी प्रतिनिधित्व का %	27.26%	15.15%	20.91%

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्त्व पर्याप्त (27.26%) है। हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्त्व में कमी आई है।

2.3 जब समिति ने बीएसएनएल के निदेशक मंडल में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानना चाहा, तब साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में पाँच कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक हैं। चूंकि उन्हें पी.ई.एस.बी. और ए.सी.सी. द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए उनकी जाति संबंधी जानकारी नहीं मांगी जाती है। अभी हमारे पास उनके बारे में ऐसी जानकारी नहीं है।

एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

2.4 समिति ने पदों की विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी के आरक्षण हेतु नीति के कार्यान्वयन और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र के बारे में जानना चाहा। संचार मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "एमटीएनएल सीधी भर्ती में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अ.प.वर्ग संबंधी आरक्षण नीतियों पर दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है, जैसा कि ऊपर बिंदु 3 में बताया गया है और एमटीएनएल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.वर्ग के लिए सभी रियायतें और छूट प्रदान कर रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बदलाव का हमारी कर्मचारी आवश्यकताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कम भर्ती हुई है। एमटीएनएल के पास पहले से ही पर्याप्त कार्यबल है और केवल आवश्यकता आधारित भर्ती की जा रही है। एमटीएनएल में सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट स्कोर के माध्यम से की जाती है।"

2.5 एमटीएनएल के बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन निकाय पदों पर आसीन ओबीसी श्रेणी के अधिकारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर संचार मंत्रालय ने बताया कि:-

> "एमटीएनएल भारत सरकार का उद्यम [सीपीएसई] होने के नाते, निदेशकों [कार्यात्मक/अंशकालिक आधिकारिक/गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र)] की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा [प्रशासनिक विभाग अर्थात डीओटी के माध्यम से] कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद संख्या

66 ए-(आई) के तहत की जाती है, जिसमें "भारत के राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति" का प्रावधान है।

निदेशक मंडल या कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों अथवा गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी) की नियुक्ति हेतु लोक उद्यम विभाग (डीपीई) अथवा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड [पीईएसबी/खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी)] की सिफारिशों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।

सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई द्वारा दिनांक 16.3.1992 के का.ज्ञा. और उसके बाद दिनांक 13.11.1995 के का.ज्ञा. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है और ये संबन्धित मंत्रालय के अधिकारी सामान्य तौर पर संबंधित सीपीएसई को देखते हैं।

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति डीपीई की खोज समिति की सिफारिश और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन पश्चात की जाती है।"

2.6 एमटीएनएल में विभिन्न स्तरों पर पदों/वर्गों/वेतनमान में कुल कर्मचारियों और ओबीसी कर्मचारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया:

कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, 30.06.2021 तक एमटीएनएल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी कर्मचारियों की कुल संख्या	ओबीसी का प्रतिशत
कार्यकारी	1241	214	17.2%
गैर-कार्यकारी	2598	137	5.2%
कुल	3839	351	9.1%

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि एमटीएनएल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी संवर्गों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27% के अनिवार्य कोटे से अत्यंत कम **(9.1%)** है।

2.7 जब समिति ने एमटीएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों के इतने कम प्रतिनिधित्व के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान बताया कि वर्तमान में एमटीएनएल में कुल कर्मचारियों की संख्या 3,893 है। 1,241 कर्मचारी कार्यकारी श्रेणी में हैं और उनमें से बाकी गैर-कार्यकारी श्रेणी में हैं। इन कार्यकारी श्रेणी के कर्मचारियों में से 214 ओबीसी श्रेणी के हैं जो 17.2 प्रतिशत हैं। भर्ती किए गए 2,598 गैर-कार्यकारी कर्मचारियों में से 137 ओबीसी श्रेणी के हैं, जो 5.2 प्रतिशत है। दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को अवसोशन के आधार पर एमटीएनएल में समूहिक रूप के स्थानांतरित किया गया था और उनमे से अधिकांश को ओबीसी आरक्षण की शुरुआत से पहले डीओटी मे भर्ती किया गया था । इसलिए इसका पृथक डाटा नहीं रखा गया है।

2.8 समिति ने संगठन (तकनीकी और गैर-तकनीकी) में ऐसे सभी पदों सहित संबंधित वेतनमानों के साथ पदों की श्रेणियों के बारे में जानना चाहा जिसके लिए एमटीएनएल में ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाता है, मंत्रालय ने बताया कि-

एमटीएनएल पदों की विभिन्न श्रेणियों (तकनीकी और गैर-तकनीकी) में अन्य पिछडे वर्गों के संबंध में आरक्षण नीति कार्यान्वित कर रहा है। यह अधिकारियों और गैर-कार्यकारियों के संबंध में भर्ती नियमों (आरआर) और नीतियों में देखा जा सकता है, जिसमें वेतनमान निम्नवत हैं:-

गैर-कार्यकारी: (तकनीकी)

क्रम सं.	**पद**	**वेतनमान**
1	दूरसंचार यांत्रिकी	11500- 24970 (एनई-6)
2.	दूरसंचार तकनीकी सहायक	13500-29300 (एनई-8)

कार्यकारी: (तकनीकी/गैर-तकनीकी)

पद	वेतनमान
सहायक प्रबंधक	20600-46500 (ई-2)

2.9 समिति ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की दो सहायक कम्पनियों महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) और यूनाइटेड

टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल) में की गई विभिन्न नियुक्तियों में लागू की जा रही आरक्षण नीति के बारे में जानना चाहा, विभाग के प्रतिनिधि ने बताया:-

"महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) और यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड (यूटीएल) के लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है। एमटीएनएल के कर्मचारियों (तकनीकी और गैर तकनीकी संवर्ग दोनों से) को इन सहायक कंपनियों में कार्यकरण के संचालन के लिए एक निश्चित अवधि हेतु एमटीएनएल की इन सहायक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है।"

अध्याय - तीन

बीएसएनएल में भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

3.1 समिति ने पदों की विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने बताया कि:-

"एमटीएनएल सीधी भर्ती में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अ.प.वर्ग संबंधी आरक्षण नीतियों पर दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है, जैसा कि ऊपर बिंदु 3 में बताया गया है और एमटीएनएल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.वर्ग के लिए सभी रियायतें और छूट प्रदान कर रहा है। हालांकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बदलाव का हमारी कर्मचारी आवश्यकताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप कम भर्ती हुई है। एमटीएनएल के पास पहले से ही पर्याप्त कार्यबल है और केवल आवश्यकता आधारित भर्ती की जा रही है। एमटीएनएल में सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट स्कोर के माध्यम से की जाती है।"

3.2 समिति को सूचित किया गया कि 28.02.2022 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

क्रम सं.		कार्यकारी	गैर-कार्यकारी	कुल
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	29693	32711	62404
2	ओबीसी	8094	4956	13050

3	ओबीसी प्रतिनिधित्व का %	27.26%	15.15%	20.91%

उपर्युक्त तालिका से यह दृष्टिगत है कि यथा अनिवार्य, बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में अ.पि.व.(ओबीसी) का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है। हालांकि, गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में अनिवार्य 27% के मुकाबले अ.पि.व.(ओबीसी) प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

3.3 उपर्युक्त जानकारी से, समिति ने ओबीसी आरक्षण के 27% लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने चूंकि ओबीसी आरक्षण नीति की शुरुआत के बाद से लगभग तीन दशक हो गए हैं, के कारणों के बारे में पूछा। समिति ने पाया कि वर्तमान में कुल 62404 कर्मचारियों में से 13050 कर्मचारी ओबीसी हैं, जो केवल 20.91% है। मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

गैर कार्यकारी श्रेणी में कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

1. दूरसंचार विभाग की अवधि में आकस्मिक मजदूर का आमेलन: बीएसएनएल मे अधिकांश गैर-कार्यकारी मौजूदा टीएमएस और पूर्व डीटीओ के समूह सी और डी कर्मचारी है । दूरसंचार विभाग के मौजूदा कर्मचारियों से जाति /वर्ग के आधार पर बिना किसी आरक्षण के बीएसएनएल मे आमेलन मे भाग लेने के विकल्प मांगे गए थे । बएसएनएल के गथन के बाद 2000 से, गैरकार्यकारी संवर्ग में सीधी - :भर्ती केवल निम्नलिखित श्रेणियों में की जा रही है

   (क) अनुकंपा आधार नियुक्ति)सीजीए:(डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीए, जाति/वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण प्रदान नहीं

करता है। यह मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को उसकी दयनीय स्थिति के आधार पर दिया जाता है। सीजीए कर्मचारियों की वर्तमान (28.02.2022 तक) संख्या 5736 है।

(ख) जेई सीधी भर्ती)तत्कालीन टीटीए:(दूसरी ओर, बीएसएनएल की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार सभी मानदंडों का पालन करते हुए बीएसएनएल में सीधी भर्ती की गई है। जेई)टेलीकॉम (की वर्तमान संख्या, जिसमें 01.10.2000 के बाद भर्ती किए गए जेई शामिल हैं, 5147 हैं, जिनमें से 1849 अ.पि.व.)ओबीसी (श्रेणी)35.92%) हैं, जो अनुलग्नक -XIII पर है। इससे पता चलता है कि सीधी भर्ती में जेई का प्रतिनिधित्व मानदंडों के अनुसार है।

2. वीआरएस-2019 योजना का कार्यान्वयन: सामूहिक वीआरएस, जो 31.01.2020 को समाप्त हुआ, के दौरान कर्मचारी की निकासी उनकी इच्छा अनुसार थी और इसमें किसी भी आरक्षण मानदंड का पालन नहीं किया गया था। बीएसएनएल में ओबीसी प्रतिनिधित्व में कमी का यह भी एक कारण है।

3.4 समिति ने बीएसएनएल में कार्यकारी और गैर कार्यकारी श्रेणी के पदों पर ओबीसी के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मांगी, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि 62 हजार कर्मचारी हैं जिनमें से 29 हजार कार्यकारी श्रेणी के हैं और लगभग 32 हजार गैर- कार्यकारी श्रेणी के हैं। कार्यकारी श्रेणी में 29,693 में से 8,094 कर्मचारी ओबीसी श्रेणी के हैं जो 27.26 फीसदी हैं और इसी तरह गैर-कार्यकारी श्रेणी में 32,711 में से 4,956 कर्मचारी ओबीसी श्रेणी के हैं, जो 15.15 % है। इस प्रकार ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व 20.91% है।

3.5 बीएसएनएल में अन्य पिछड़े वर्गों की कमी और बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में समिति को बताया गया था कि:-

"जी हाँ, रजिस्टर में अ.पि.वर्ग के लिए वर्षवार रिक्तियों का उल्लेख किया जा रहा है। अ.पि.वर्ग श्रेणी के लिए नहीं भरी गई आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की अवधारणा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2008-स्था.(आरईएस.) दिनांक 15.07.2008 के जारी होने तक लागू नहीं हुई थी। डीआर-डीजीएम की भर्ती जरूरत के आधार पर 2010 और 2017 में आयोजित की गई थी। 2010 में डीजीएम भर्ती में कमी पर 2017 में नई भर्ती के समय विधिवत विचार किया गया है।

विभिन्न संवर्गों में भर्ती और कमी/बैकलॉग का विवरण अनुलग्नक -II में दिया गया है।

3.6 बीएसएनएल/विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 27% आरक्षण का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाए, हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में समिति को बताया कि:-

"हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में, बीएसएनएल वीआरएस-2019 को लागू किया गया है जिसमें बीएसएनएल ने 78000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर वीआरएस स्वीकार किया है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार ने बीएसएनएल में 2019 में 68,984 करोड़ रुपये का एक पुनरुद्धार पैकेज भी लागू किया है। एक बार बीएसएनएल की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बाद, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण के सभी मानदंडों का पालन

करते हुए, भविष्य में भर्तियां की जाएंगी। भविष्य की भर्ती में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सभी ईमानदार प्रयास किए जाएंगे।

3.7 बैकलॉग रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों के कारणों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"डायरेक्ट डीजीएम [प्रत्यक्ष रूप से भर्ती उप महाप्रबंधक] (डीआर-डीजीएम)/जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर (टेलीकॉम/सिविल/ इलेक्ट्रिकल/आर्क)/ जूनियर अकाउंट ऑफिसर (जेएओ)/ जूनियर इंजीनियर (टीटीए) कैडर की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है जिसमें आरक्षण (ओबीसी) पर विचार किया जाता है। बीएसएनएल के गठन के बाद अब तक ओबीसी श्रेणी के संबंध में बैकलॉग रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

पद का स्तर	वर्ष	बैकलॉग/कमी रिक्तियों की संख्या
ग्रुप 'ए' (डीआर-डीजीएम) (दूरसंचार + वित्त)	2017	47 (33+14)
ग्रुप 'बी'		
जेटीओ (टी)	2017	154
जेटीओ (ई)	डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं है	71
जेटीओ (सी)		41
जेएओ	2015	17

(क) वर्ष 2001 से 2007 के बीच आयोजित जेटीओ संवर्ग में सीधी भर्ती।

(ख) ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग की अवधारणा डीओपी एंड टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2008-स्था. (आरईएस.) दिनांक 15.07.2008 के जारी होने तक लागू नहीं हुई थी।

(ग) इसलिए, 2008 तक जेटीओ संवर्ग में रिक्त रिक्तियों को कमी के रूप में माना गया था। 2008 से 2016 तक इस कैडर में कोई सीधी भर्ती नहीं हुई थी। जेटीओ के लिए सीधी भर्ती 2017 में हुई थी।

(घ) डीआर-डीजीएम की भर्ती 2010 और 2017 में **आवश्यकता के आधार पर** हुई थी। 2010 में डीजीएम भर्ती में कमी को 2017 में नई भर्ती के समय विधिवत माना गया है।

भविष्य में भर्ती के साथ-साथ बैकलॉग रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

3.8 समिति ने 24 मार्च, 2021 को साक्ष्य हेतु हुई बैठक में मंत्रालय के प्रतिनिधियों के समक्ष समूह 'ए' (डीआर-डीजीएम (दूरसंचार + वित्त) में बैकलॉग रिक्तियों का मुद्दा उठाया, प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2010 और 2017 में 150 डीआरडीजीएम की भर्ती हेतु हुई दो भर्तियों में केवल 64 पद भरे जा सके। इसमें ओबीसी के 7 पद भरे गए थे। इसी तरह डीजीएम वित्त के 60 पदों में से 8 पद भरे गए और ओबीसी वर्ग के सिर्फ 2 पद भरे गए थे। 2017 में जब तक ये भर्ती की गई थी, तब तक बीएसएनएल की स्थिति जर्जर हो चुकी थी, इसलिए पद की दो श्रेणियों में अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता बी-टेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट थी।

3.9 साक्ष्य के दौरान मंत्रालय ने बताया था कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए भर्ती पूरी नहीं हुई है, इसके आलोक में समिति ने बीएसएनएल में ऐसी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ इस भर्ती चक्र को पूरा करने में देरी के कारणों को जानना चाहा। डीआर-डीजीएम की भर्ती आवश्यकता आधार पर 2010 और 2017 में आयोजित की गई थी। 2010 में डीजीएम भर्ती में कमी पर 2017 में नई भर्ती के समय पूरी तरह से विचार किया गया है। 2019 में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में, वीआरएस-2019 को लागू किया गया है जिसमें बीएसएनएल ने कर्मचारी की जाति/वर्ग पर विचार किये बिना कर्मचारी द्वारा चयन किए गए विकल्प के आधार पर वीआरएस स्वीकार किया है। 78000 से अधिक कर्मचारियों ने वीआरएस लिया है और इन पदों को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल की तनावग्रस्त वित्तीय स्थिति के कारण बीएसएनएल में कोई सीधी भर्ती नहीं की जा रही है। भर्तियों में कमी का कारण वर्ष 2009-10 से बीएसएनएल की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और बीएसएनएल के बाहर उपलब्ध बेहतर कैरियर संभावनाएं/अवसर और वेतन पैकेज हो सकता है। हालांकि, भविष्य की भर्तियों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे।

3.10 इसके अलावा, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विस्तार से बताया कि बेहतर/उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को अन्य पीएसयू में बेहतर अवसर मिले, इसलिए उन्होंने बेहतर पदोन्नति और कैरियर की प्रगति के अवसरों का विकल्प चुना।

3.11 समिति ने बीएसएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती का वर्ष-वार ब्यौरा भी जानना चाहा, दी गई सूचना अनुलग्नक -XIV में संलग्न है।

3.12 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, समिति ने पाया कि डायरेक्ट-डीजीएम (टी) के पदों के लिए, 95% और 86.84% की लगातार कमी रही है और वर्ष 2010 और 2017 में 40 और 38 रिक्तियों के मुकाबले क्रमशः केवल 2 और 5 भरे गए थे। जब समिति ने उपर्युक्त पदों में कमी के कारणों और रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा, तो मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.व.(ओबीसी) के आरक्षण के प्रावधान का ध्यान रखा गया है। हालांकि, विज्ञापित सभी पद नहीं भरे जा सके। भर्तियों में कमी का कारण 2009-10 के बाद से बीएसएनएल की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण बीएसएनएल में कम लाभप्रद सेवा शर्त एवं बीएसएनएल के बाहर बेहतर आजीविका (करियर) संभावनाएं/अवसर और उपलब्ध वेतन पैकेज हो सकते हैं। बीएसएनएल बोर्ड निष्ठा से कंपनी के पुनरुद्धार और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। इस लैंडमार्क को हासिल करने के उपरांत, बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।"

3.13 इसके अलावा, समिति ने यह भी पाया कि प्रत्यक्ष- डीजीएम- दूरसंचार (वित्त) के पद पर भर्ती में 90% से अधिक की कमी एक उच्च प्रतिशत है और वर्ष 2010 और 2017 में क्रमशः 16 और 15 रिक्तियों की तुलना में, प्रत्येक वर्ष के दौरान केवल एक रिक्ति भरी गई थी। जब समिति ने इन पदों पर बैकलॉग रिक्तियों को नहीं भरने के कारणों की जानकारी मांगी, तो मंत्रालय ने सूचित किया:-

> "भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अ.पि.व. (ओबीसी) के आरक्षण के प्रावधान का ध्यान रखा गया है। हालांकि, विज्ञापित सभी पद नहीं भरे जा सके। भर्तियों में कमी का कारण 2009-10 के बाद से बीएसएनएल की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण बीएसएनएल में कम लाभप्रद सेवा शर्त एवं

बीएसएनएल के बाहर बेहतर आजीविका (करियर) संभावनाएं/अवसर और उपलब्ध वेतन पैकेज हो सकते हैं। बीएसएनएल बोर्ड निष्ठा से कंपनी के पुनरुद्धार और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। इस लैंडमार्क को हासिल करने के उपरांत, बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे।"

3.14 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बकाया रिक्तियों को भरने के लिए शुरू किए गए/शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विशेष भर्ती अभियानों का ब्यौरा:-

विशेष भर्ती अभियान (पिछले पांच वर्ष)

* दिनांक 17.01.2017 को चिह्नित अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग/कमी

वर्ष	ओबीसी की कमी			भरी गई रिक्तियां		
	क	ख	ग (पूर्ववर्ती समूह 'घ' सहित)	क	ख	ग (पूर्ववर्ती समूह 'डी' सहित)
डीआर-डीजीएम						
2017	33	-	-	5	-	-
जेटीओ (इलेक्ट्रिकल)						
2014*	-	71	-	-	शून्य*	-
जेटीओ (सिविल)						
2014*	-	41	-	-	नहीं*	-

रिक्तियों के लिए, एसआरडी के संचालन का प्रस्ताव शुरू किया गया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से बोर्ड स्तर पर इसे हटा दिया गया है।

जेटीओ के पद के संदर्भ में, समिति ने पाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 71 जेटीओ (इलेक्ट्रिकल) और 68 जेटीओ (सिविल) की रिक्तियां हैं; और भरी गई रिक्तियां 'शून्य' है जिसे आज तक भरा नहीं गया क्योंकि बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों से इन रिक्तियों को हटाने का फैसला किया था। जब समिति ने इन रिक्तियों को न भरे जाने के कारणों और इन्हें भरने के लिए बीएसएनएल द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने विस्तार से बताया कि:-

"वर्ष 2009 हेतु ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 41 (सिविल) जेटीओ रिक्तियों में से केवल 27 रिक्तियां भरी गई थीं। 41 रिक्तियों की कमी की पहचान 17.01.2017 तक की गई थी। इन 71 जेटीओ (इलेक्ट्रिक) और 41 जेटीओ (सिविल) के रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया की शुरूआत फरवरी, 2018 में की गई थी। इन पदों को गेट- 2019 के स्कोर के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। भर्ती की प्रक्रिया अग्रिम चरण में थी। इस बीच, यह विश्लेषण किया गया कि कर्मचारी के वेतन पर खर्च का बीएसएनएल पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, सितंबर 2019, में सुविचारित निर्णय लिया गया कि बीएसएनएल के व्यापक हित में नई भर्ती द्वारा और अधिक देयताएं बनाना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय संकट के प्रमुख कारणों में से एक कर्मचारी के वेतन पर खर्च होने के कारण के चलते प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया।

2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में, वीआरएस-2019 को लागू किया गया है जिसमें बीएसएनएल ने कर्मचारी की जाति/वर्ग के पर विचार ना करने हुए व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर वीआरएस को स्वीकार किया है। 78000 से अधिक कर्मचारियों ने वीआरएस ली है। कंपनी के वित्त और

व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर बैकलॉग रिक्तियों को भरने पर विचार किया जाएगा।"

एमटीएनएल में भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

3.15 एमटीएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नीति के वास्तविक कार्यान्वयन के संदर्भ में समिति ने वर्ष 1993 से विभिन्न श्रेणियों के पदों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा:-

"रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू होने के बाद एमटीएनएल द्वारा बहुत कम सीधी भर्ती प्रक्रियाएं संचालित की गई हैं। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

				ओबीसी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या							
वर्ष	पदों का वर्ग	रिक्तियों की कुल संख्यां	वास्तव में भरी गई रिक्तियां	वर्ष के दौरान आरक्षित	अग्रेषित रिक्तियों की संख्या	ओबीसी की कुल रिक्तियां	वास्तव में भरी गई कुल ओबीसी रिक्तियां	कमी	कमी का %	ओबीसी की रिक्तियों का बैकलॉग	ओबीसी की भरी गई बैकलॉग रिक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005	कार्यकारी	409	329	110	0	110	91	19	17%		-

2009	कार्यकारी	305	192	84	0	84	57	27	32%		-
2016	कार्यकारी	66	39	16	0	16	8	8	50%	8*	-
2019	कार्यकारी (गैर-तकनीकी)	39	18	10	0	10	4	6	60%	6*	-

*पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उन्हें एमटीएनएल में कार्य करने हेतु बुलाया गया, हालांकि, प्रत्येक श्रेणी में कम उम्मीदवार एमटीएनएल में शामिल हुए।

3.16 समिति ने एमटीएनएल में ओबीसी श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के कारणों को जानना चाहा, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उन्हें एमटीएनएल में शामिल होने के लिए बुलाया गया, हालांकि, प्रत्येक श्रेणी में कम अभ्यर्थी एमटीएनएल में शामिल हुए। प्रमुख क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार की भर्ती पर प्रतिबंध है, जहां पदों को पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों द्वारा संचालित किया जाना है। दिनांक 18.3.2004 के आदेश की प्रति संलग्न है, तथापि, प्रमुख क्षेत्रों में जहां व्यावसायिक रूप से कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एमटीएनएल बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर विशेष कौशल पदों को भरने की अनुमति देता है। इस तरह की भर्तियां एक बार के आधार पर की जाती हैं और बैकलॉग को आगे नहीं बढ़ाया जाता है।"

3.17 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/एमटीएनएल ने ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है, मंत्रालय का उत्तर नकारात्मक था। इसके अतिरिक्त, समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत इन बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय ने उत्तर में बताया कि:-

> "तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति के कारण, सरकार द्वारा अनुमोदित एमटीएनएल वीआरएस-2019 योजना एमटीएनएल द्वारा वर्ष 2019-20 में लागू किया गया है जिससे अधिक कार्मिक संख्या को कम किया जा सके। इसमें वीआरएस का चयन करने वाले 14,387 से अधिक कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है। वीआरएस के पश्चात, एमटीएनएल में मानव-शक्ति मानदंड पुनर्गठन प्रक्रिया के अधीन हैं और सभी संवर्गों के लिए स्वीकृत/रिक्त पदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।"

3.18 ओबीसी भर्तियों की कमी के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, समिति ने यह भी पाया कि 2005, 2009, 2016 और 2019 के दौरान क्रमशः 17%, 32%, 50% और 60% की कमी थी। जब समिति ने रिक्तियों को भरने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ लगातार कमी के कारणों को जानना चाहा, तो मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:-

(i) पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया गया और एमटीएनएल में शामिल होने के लिए बुलाया गया, हालांकि, प्रत्येक श्रेणी में कम उम्मीदवार एमटीएनएल में शामिल हुए।

(ii) संभवत: चूंकि एमटीएनएल को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए ओबीसी अभ्यर्थियों की कमी के लिए इन अभ्यर्थियों द्वारा बेहतर अवसरों के

लिए कुछ अन्य संगठनों में शामिल होने को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(iii) एमटीएनएल की खराब वित्तीय स्थिति के कारण एमटीएनएल में तीसरा पीआरसी लागू नहीं किया गया है, अभ्यर्थी बेहतर वेतन पैकेज के साथ संगठन में शामिल हो सकते हैं।

(iv) यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ प्रत्येक श्रेणी में शामिल होने का प्रतिशत कम हो गया है, संभवतः ऐसा एमटीएनएल के गिरते स्वास्थ्य के कारण है।

तनावग्रस्त वित्तीय स्थिति के कारण, एमटीएनएल वीआरएस 2019 के लागू होने के बावजूद, एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। यदि निकट भविष्य में एमटीएनएल नई भर्ती करने का निर्णय लेता है, तो एमटीएनएल भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भर्ती में ओबीसी उम्मीदवारों की कमी को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

3.19 आरक्षण रोस्टर के रखरखाव के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया कि कैडरवार आरक्षण रोस्टर को डीओपीटी मानदंडों के अनुसार बनाए रखा जा रहा है, जो निम्नानुसार है:

वर्ष	स्ट्रीम	कुल रिक्तियां/चयनित	भरी गई	कुल ओबीसी अभ्यर्थी/चयनित	भरी गई	कमी	कुल एससी रिक्तियां/चयनित	भरी गई	कमी	कुल एसटी रिक्तियां/चयनित	भरी गई	कमी
2005	दूरसंचार	284	227	74	57	17	39	30	9	20	18	2

	वित्त	79	62	26	23	3	4	3	1	1	0	1
	एचआर/ मार्केटिंग/एल/ सीएस	46	45	10	10	0	8	8	0	2	1	1
कुल		**409**	**334**	**110**	**90**	**20**	**51**	**41**	**10**	**23**	**19**	**4**
2009	एचआर	8	7	3	3	0	1	1	0	0	0	0
	मार्केटिंग	24	20	6	4	2	4	2	2	2	2	0
	सीएस	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कानूनी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दूरसंचार	200	165	55	47	8	29	24	5	10	8	2
	सिविल	10	3	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	इलेक्ट्रिकल	10	7	2	2	0	1	0	1	0	0	0
	वित्त	51	32	16	11	5	5	2	3	1	0	1
कुल		**305**	**235**	**84**	**69**	**15**	**41**	**29**	**12**	**13**	**10**	**3**
2016	दूरसंचार	59	35	15	8	7	8	6	2	4	1	3
	सिविल	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	इलेक्ट्रिकल	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
कुल		**66**	**39**	**16**	**8**	**8**	**9**	**6**	**3**	**4**	**1**	**3**

2019	एचआर	7	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0
	मार्केटिंग	15	7	4	2	2	2	0	2	1	1	0
	वित्त	17	8	4	1	3	6	4	2	1	1	0
कुल		**39**	**18**	**10**	**4**	**6**	**9**	**5**	**4**	**2**	**2**	**0**

इसके अलावा कॉरपोरेट स्तर पर सीधी भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर भी बनाया जाता है, जो निम्नानुसार है:-

आरआर का तरीका	जिस स्तर पर रोस्टर बनाए रखा जाता है	रोस्टर की संख्या
सीधी भर्ती	समूह 'ख'	चार- एएम, जेएओ, जेटीओ (टेलीकॉम) और जेटीओ (सिविल/इलेक्ट्रिकल)

"एमटीएनएल समय-समय पर पदों के लिए सीधी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीतियों पर डीओपीटी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन कर रहा है और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार ओबीसी के लिए सभी रियायतें और छूट प्रदान कर रहा है। हालांकि, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से बदलाव का हमारे कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कम भर्ती हुई है। एमटीएनएल के पास पहले से ही पर्याप्त कार्यबल है और केवल आवश्यकता आधारित भर्ती की जा रही है।

एमटीएनएल में सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और गेट स्कोर के माध्यम से की जाती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आरक्षण के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों सहित प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के लिए पदों की संख्या सीधी भर्ती प्रक्रिया के एक भाग के रूप में समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से विधिवत अधिसूचित की जाती है। इसके अलावा, भर्ती के लिए अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम सीमा तक भरने के प्रयास में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है/संचालित की जाती है, ऐसा न करने पर रिक्त रह गए पदों को विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) आयोजित करके भर्ती के लिए अधिसूचित किया जाता है। ओबीसी आरक्षण नीति को लागू करते समय कोई बाधा नहीं आ रही है।"

3.20 साक्ष्य के दौरान, समिति ने एमटीएनएल में ओबीसी के संवर्ग, भर्ती और प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मांगी, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि एमटीएनएल में दो संवर्ग अर्थात् दूरसंचार मैकेनिक और दूरसंचार तकनीकी सहायक हैं और उनके 'भर्ती नियमों' में सीधी भर्ती का प्रावधान है और सहायक प्रबंधक के लिए भी इसी प्रकार का प्रावधान है। सहायक प्रबंधक संवर्ग में भर्ती की गई है तथापि दूरसंचार मैकेनिक और दूरसंचार तकनीकी सहायक संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की गई क्योंकि उनमें से कई टीएसएम नियमितीकरण योजना के अंतर्गत आते हैं। 1986 में दो महाप्रबंधकों और दो उप महाप्रबंधक की भर्ती की गई जिसमें रोस्टर रजिस्टर का पालन किया गया। यह उल्लेखनीय है कि 1986 से 2021-22 तक 626 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें से 171 ओबीसी श्रेणी से थे। कुल मिलाकर जो रिक्ति भरी गई थी, उसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले 27%

से अधिक व्यक्ति थे। दूसरी बात जब 2019 में गैर-तकनीकी कैडर में भर्तियां की गई, तो कुल मिलाकर 33 ओबीसी रिक्तियां थीं, जिन्हें विधिवत अधिसूचित किया गया था। लेकिन उनमें से कई शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह एक आकर्षक संगठन नहीं लगा।

पिछला भर्ती अभियान 2018 और 2019 में किया गया था और निकट भविष्य में भर्ती की कोई योजना नहीं है क्योंकि राजस्व का 40% वर्तमान कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किया जाता है।

अध्याय - चार

कल्याणकारी उपाय (बीएसएनएल)

ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी

4.1 समिति ने पूछा कि क्या बीएसएनएल द्वारा ओबीसी के लिए आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उनकी शिकायतों की जांच करने के लिए अलग से एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है, इसके उत्तर में बीएसएनएल ने निम्नवत बताया:

> "बीएसएनएलसीओ, नई दिल्ली के महाप्रबंधक (सीएनपी) सतीश कुमार नैन को ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली के संपर्क अधिकारी (ओबीसी) के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सभी सर्कल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों को देखने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक सर्कल में ओबीसी के लिए अलग संपर्क अधिकारी नामित करें।

4.2 इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान बीएसएनएल के कॉरपोरेट स्तर पर, नई दिल्ली में नियुक्त संपर्क अधिकारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) श्री शिव शंकर प्रसाद, डीजीएम (स्था.), बीएसएनएल सीओ, नई दिल्ली (06.10.2016 से 23/10.2017)

(2) श्री राम राज यादव, डीजीएम (एनओएफएन), बीएसएनएल सीओ, नई दिल्ली (27.02.2018 से 10/9/2018)

(3) श्री संजय कुमार जीएम (वीएएस-1), बीएसएनएल सीओ, नई दिल्ली (14.09.2018 से 21/08/2019)

(4) श्री सतीश कुमार नैन, महाप्रबंधक (सीएनपी), बीएसएनएल, सीओ, नई दिल्ली (31.10.2019 से अब तक)

ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण

4.3 बीएसएनएल में ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए मशीनरी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने टिप्पण में निम्नवत बताया:

"बीएसएनएल के पास डीओपीटी आदेश 43011/153/2010 स्था (आरईएस) दिनांक 04/01/2013 के अनुसार एससीटी अनुभाग है- जो एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व कर्मी से संबंधित कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उठाए गए आरक्षण नीति मामलों और शिकायतों की निगरानी करता है। एससीटी अनुभाग का नेतृत्व मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) करते हैं। एनसीबीसी आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच में सीएलओ सहायता करते हैं। डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी (एलओ) को ओबीसी से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम कार्यालय और परिमंडल स्तर पर नामित किए गए हैं। ओबीसी से संबंधित मामलों के लिए एलओ के रूप में नामित कार्यकारी उ॰म॰प्र॰ या समकक्ष स्तर के कार्यकारी हैं।"

4.4 बीएसएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के संदर्भ में समिति ने यह जानना चाहा कि आधिकारिक पदानुक्रम के किस स्तर पर इन शिकायतों का समाधान किया जाता है। मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:-

"सामान्य मामलों में व्यक्तिगत शिकायत का निवारण परिमंडल स्तर या व्यावसायिक क्षेत्र (बीए) स्तर पर, कुछ जिलों को सम्मिलित करते हुये,

किया जाता है। यदि शिकायतों का निवारण उनके स्तर से परे है तो ऐसी शिकायतों का समाधान बीएसएनएल निगम कार्यालय के स्तर पर किया जाता है। शिकायतों के समाधान के लिए सभी शिकायतों को संबंधित एलओ के माध्यम से संबंधित निवारण प्राधिकारी को भेजा जाता है।"

4.5 बीएसएनएल में ओबीसी कर्मचारियों के निवारण के लिए मशीनरी के संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया-

"ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी कॉर्पोरेट/सर्कल स्तर पर काम कर रहे हैं जो ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच और निवारण कर रहे हैं। हालांकि, व्यक्तिगत कर्मचारी सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आदि के लिए काम करने वाले कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका नेतृत्व मुख्य संपर्क अधिकारी करते हैं।"

4.6 समिति ने पिछले दो वर्षों के दौरान ओबीसी कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों और उन शिकायतों के निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा, मंत्रालय ने निम्नवत ब्यौरा दिया:-

ओबीसी कर्मचारियों की समस्याएं/शिकायतें

क्रम सं.	याचिकाकर्ताओं का नाम	शिकायत	स्थिति
1	श्री प्रभाकर पाटिल, अतिरिक्त महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त),	विभागीय कार्यवाही, सीबीआई जांच, बीएसएनएल द्वारा मानसिक उत्पीड़न,	दिनांक 17.09.2021 के इस कार्यालय पत्र के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत उत्तर।

	कोल्हापुर एमएच सर्कल	डीओटी, और टीए बिल मुद्दा, छुट्टी का मामला आदि	
2	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, महाप्रबंधक मुख्यालय, डब्ल्यूटीआर, मुंबई	स्थानांतरण मुद्दा और एपीएआर ग्रेडिंग	स्थानांतरण मुद्दे का निपटान किया जाता है और एपीएआर ग्रेडिंग पर मौखिक आदेश जारी किया जाता है।
3	श्री राम कृष्ण अप्पा जाधव, नियमित मजदूर	बीएसएनएल में नियमितीकरण	29.07.2021 के कार्यालय पत्र के माध्यम से आयोग को उत्तर प्रस्तुत किया गया है।
4	श्री राजेश कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक (सिविल), बिहार	स्थानांतरण और उत्पीड़न के मुद्दे के बारे में	शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।
5	श्री उमेश राय, एओ बिहार	चिकित्सा बिल, टीए, मोबाइल हैंडसेट बिल, समाचार पत्र बिल और स्थानान्तरण का निपटारा न होना	अधिकांश मुद्दों का समाधान हो जाता है।
6	श्री एस. ए. माली, एसडीई बीएसएनएल	स्थानांतरण मामला	विचाराधीन

4.7 समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या प्रबंधन ओबीसी कर्मचारी कल्याण संघ की समस्याओं/शिकायतों के समाधान के लिए उनके साथ आवधिक बैठकें करता है। मंत्रालय ने बताया कि -

> "वर्तमान में कोई ओबीसी कर्मचारी संघ कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ समय-समय पर बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, शिकायतों/शिकायतों पर एलओ (ओबीसी) द्वारा ध्यान दिया जाता है।"

कल्याणकारी उपाय (एमटीएनएल)

<u>ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी</u>

4.8 मंत्रालय ने एमटीएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और उनके समग्र कल्याण के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर सकारात्मक उत्तर दिया, मंत्रालय ने पिछले पांच वर्षों में ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया:-

वर्ष	कॉर्पोरेट कार्यालय	दिल्ली इकाई	मुंबई इकाई
2017	श्री आर. के. तंवर, डीजीएम (कार्मिक)	श्री अशोक कुमार सिंह, डीजीएम (सतर्कता)	श्री जे. पी. एन. सिंह, डीजीएम (पश्चिम-III)
2018	श्री आर. के. तंवर, डीजीएम	श्री अकमल हसन, डीजीएम (टेलिकॉम)	श्री पी.जी. सतपुते, डीजीएम (योजना)

	(कार्मिक)		
2019	श्री आर. के. तंवर, डीजीएम (कार्मिक)	श्री अकमल हसन, डीजीएम (टेलिकॉम)	श्री पी.जी. सतपुते, डीजीएम (योजना)
2020	आलोक यादव, डीएम (कानूनी)	श्री अकमल हसन, डीजीएम (इलेक्ट्रिकल)	श्री वीके बेडाडे, डीजीएम (कानूनी)
2021	श्री अकमल हसन, जीएम (इलेक्ट्रिकल)	श्री अकमल हसन, जीएम (इलेक्ट्रिकल)	श्री वीके बेडाडे, डीजीएम (कानूनी)

शिकायत निवारण

4.9 समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र और पिछले दो वर्षों के दौरान एमटीएनएल के अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे और उनके निपटान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

> "ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी कॉर्पोरेट/यूनिट स्तर पर काम कर रहे हैं जो ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच और निवारण कर रहे हैं। हालांकि, व्यक्तिगत कर्मचारी सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आदि के लिए काम करने वाले कर्मचारी शिकायत प्रकोष्ठ के साथ भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका नेतृत्व संपर्क अधिकारी करते हैं।"

4.10 एमटीएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एमटीएनएल/मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा और संगठन में अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किस स्तर पर किया जाता है, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने उत्तर दिया कि इन कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनकी शिकायतों का यथाशीघ्र निपटान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों से, ओबीसी कर्मचारियों से बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसे एमटीएनएल में लागू नियमों के अनुसार हल किया गया है। शिकायतों का निपटान संबंधित इकाई के जीएम स्तर पर किया जाता है और यदि इसका निपटान नहीं किया जाता है तो इसे पदानुक्रम में अगले उच्च स्तर अर्थात ईडी/निदेशक(एचआर)/सीएमडी तक बढ़ाया जा सकता है।

<u>सेवाओं/नौकरियों की आउटसोर्सिंग</u>

4.11 समिति ने यह पूछा कि क्या मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों का अपने कतिपय गैर-प्रमुख कार्यों को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव है और आउटसोर्स की गई नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया कि:-

> "एमटीएनएल सुरक्षा/हाउसकीपिंग जैसे विभिन्न कार्यों की आउटसोर्सिंग कर रही है। ठेकेदारों द्वारा आवश्यकता के आधार पर कामगारों को लगाया जाता है। इससे लागत को कम करने में मदद मिली है क्योंकि:
>
> (1) इन सेवाओं का लाभ आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है।

(2) खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से दरों की खोज की जाती है और वे सस्ती होती हैं।

आउटसोर्सिंग ठेका खुली प्रतियोगिता के आधार पर दिया जा रहा है। सरकार ने अनुबंध देने में ओबीसी के लिए आरक्षण के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

***

भाग - दो

सिफारिशें/टिप्पणियां

एक. <u>शीर्ष प्रबंधन में ओबीसी का प्रतिनिधित्व</u>

(क) बीएसएनएल: समिति ने पाया कि बीएसएनएल में इसके निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना के अनुसार छह पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और चार गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। तथापि, समिति को सूचित किया गया है कि आज की तिथि तक बोर्ड में कोई भी अधिकारी अन्य पिछड़े वर्ग का नहीं है चूंकि निदेशक मंडल में आरक्षित श्रेणियों (एससी/एसटी/ओबीसी) की नियुक्ति कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी निदेशकों या गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं हैं। इस प्रकार, कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। समिति यह बात मानती है कि निदेशक मंडल में नियुक्तियां सीधे सरकार द्वारा की जा रही हैं। तथापि, समिति प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात संचार मंत्रालय से यह आग्रह करना चाहती है कि वे डीपीई ओएम संख्या 2(15)/2011-जीएम दिनांक 18 अप्रैल, 2011 का अनुपालन करें जिसमें उद्योग संबंधी समिति द्वारा चिंता व्यक्त की गई है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग की श्रेणियों के व्यक्ति केंद्रीय सरकारी उद्यमों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों पर पूरा उतरते हैं, तो उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

(ख) एमटीएनएल: समिति ने पाया कि एमटीएनएल में इसके निदेशक मंडल की वर्तमान संरचना के अनुसार चार कार्यात्मक निदेशक, दो सरकारी नामित निदेशक और छह गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। इसके अलावा, संचार मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में एमटीएनएल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है और उनकी जिम्मेदारी बीएसएनएल के निदेशकों द्वारा निभाई जाती है।

दो. <u>ओबीसी का प्रतिनिधित्व</u>

(क) बीएसएनएल: समिति ने नोट किया कि बीएसएनएल में 28.02.2022 को ओबीसी का प्रतिनिधित्व 20.91 प्रतिशत था। यह देखा गया है कि बीएसएनएल में कार्यकारी संवर्ग में ओबीसी का प्रतिनिधित्व पर्याप्त (27.26%) है, हालांकि, अनिवार्य 27% की तुलना में गैर-कार्यकारी श्रेणी (15.15%) में ओबीसी का प्रतिनिधित्व कम है। समिति का सुविचारित मत है कि बीएसएनएल को एक व्यापक समीक्षा करने और यह आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या संगठन अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जा रही संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने में सफल रहा है। इसके अलावा, समिति ने बीएसएनएल में पदों की श्रेणियों में अन्य पिछड़े वर्गों के विविध प्रतिनिधित्व के संबंध में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है। गैर-कार्यकारी में ओबीसी का प्रतिनिधित्व केवल 15.15% है। गैर-कार्यकारी निदेशकों में ओबीसी का कम प्रतिनिधित्व विशेष रूप से चिंता का कारण है क्योंकि ये पद आम तौर पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। समिति बीएसएनएल में आरक्षण नीति के जमीनी स्तर पर खराब कार्यान्वयन पर अपनी निराशा व्यक्त करती है। केवल कार्यकारी कैडर में, ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27.26% है, जो 27% के अधिदेश से थोड़ा अधिक है। इसलिए समिति चाहती है कि बीएसएनएल को विशेष रूप से बीएसएनएल के गैर-कार्यकारी संवर्ग में नीति कार्यान्वयन स्तर पर चूक के कारणों

की जांच करनी चाहिए। इसलिए समिति मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि बीएसएनएल में ओबीसी कर्मचारियों के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि ओबीसी के लिए आरक्षण नीति बीएसएनएल के सभी स्तरों पर अक्षरश: लागू हो।

(ख) एमटीएनएल: समिति ने नोट किया कि एमटीएनएल में 30-06-2022 को ओबीसी का समग्र प्रतिनिधित्व केवल 9.1 प्रतिशत था। एमटीएनएल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी श्रेणियों में ओबीसी कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 17.2% और 5.2% थी। समिति एमटीएनएल में आरक्षण नीति के खराब कार्यान्वयन पर अपनी निराशा व्यक्त करती है। इसलिए, समिति का सुविचारित मत है कि एमटीएनएल को एक व्यापक समीक्षा करने और यह आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या संगठन अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जा रही संवैधानिक गारंटी की रक्षा करने में सफल रहा है और प्रशासनिक मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है कि ओबीसी कर्मचारियों के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि ओबीसी के लिए आरक्षण नीति एमटीएनएल में लागू की जाए।

तीन. <u>बैकलॉग और रिक्तियों की कमी</u>

बीएसएनएल: समिति ने नोट किया कि वर्ष 2017 से बीएसएनएल में सभी पदों पर ओबीसी श्रेणी में लगातार उच्च बैकलॉग रहा है। वर्ष 2010 और 2017 के लिए डीआर डीजीएम (टी) पद में क्रमशः 95% और 86.84% की लगातार कमी रही है। इसी प्रकार डीआर डीजीएम (दूरसंचार वित्त) के लिए यह भी देखा गया है कि 93.75% (2010) और 93.33% (2017) की कमी आई है। इसके अलावा, जेटीओ (ई)

और जेटीओ (सी) जैसे कुछ पदों के संदर्भ में मंत्रालय ने सूचित किया कि 2017 के पिछले भर्ती अभियान के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। फिर भी 2009 के आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि इसमें क्रमशः 68% और 60.29% की कमी है। समिति को सूचित किया गया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बीएसएनएल के पुनरुद्धार के एक भाग के रूप में, बीएसएनएल वीआरएस-2019 को लागू किया गया है जिसमें बीएसएनएल ने 78000 से अधिक कर्मचारियों द्वारा अपनाए गए विकल्प के आधार पर वीआरएस स्वीकार कर लिया है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। सरकार ने 2019 में बीएसएनएल में 68,984 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज भी लागू किया है। एक बार बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति सुधर जाने के बाद, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण के सभी मानदंडों का पालन करते हुए भविष्य में भर्तियां की जाएंगी। भविष्य की भर्तियों में बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु सभी प्रयास ईमानदारी से किए जाएंगे। समिति बीएसएनएल द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं है। समिति का मानना है कि विशेष भर्ती अभियान का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए था और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध छूट और रियायत को विज्ञापन में प्रमुखता से रेखांकित किया जाना चाहिए था ताकि ओबीसी अभ्यर्थियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल सके। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय को बीएसएनएल में ओबीसी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना चाहिए और की गई कार्रवाई के स्तर पर किए गए भर्ती कार्यक्रम के बारे में समिति को अवगत कराना चाहिए।

चार. <u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

(क) बीएसएनएल - समिति यह नोट कर चिंतित है कि बीएसएनएल ने अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों हेतु समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया है। हालांकि, बीएसएनएल के पास डीओपीटी आदेश 43011/153/2010-स्था.(आरईएस) दिनांक 04.01.2013 के अनुसार एससीटी अनुभाग है जो आरक्षण नीति के मामलों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिकों आदि से संबंधित कर्मचारियों द्वारा उठाई गई शिकायतों की निगरानी करता है। एससीटी अनुभाग का नेतृत्व मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) द्वारा किया जाता है। सीएलओ एनसीबीसी आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच में सहायता करता है। तथापि, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई कर्मचारी कंपनी की प्रत्येक इकाई/कार्यालय में कारपोरेट/सकल स्तर पर कार्यरत संपर्क अधिकारियों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से अथवा संपर्क अधिकारियों के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण कर सकता है। समिति महसूस करती है कि संपर्क अधिकारी कर्मचारी और संगठन के मध्य सेतु का काम करता है। इसलिए, वह केवल कर्मचारी की शिकायत को संगठन को अग्रेषित कर सकता है और ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। समिति बीएसएनएल के दावे जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ की अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया है,से सहमत नहीं है। इसलिए, समिति यथाशीघ्र मंत्रालय से बीएसएनएल के अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिए समर्पित एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की पुरजोर सिफारिश करती है।

(ख) एमटीएनएल - समिति ने पाया कि ओबीसी कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी कॉर्पोरेट/यूनिट स्तर पर काम कर रहे हैं जो ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों को देख रहे हैं और उनका निवारण कर रहे हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत कर्मचारी सभी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी इत्यादि के लिए कार्यरत स्टाफ शिकायत कॉल के साथ भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जिसके प्रमुख भी संपर्क अधिकारी होते हैं। समिति यह जानकर निराश है कि एमटीएनएल में ओबीसी कर्मचारियों के लिए कोई समर्पित शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। समिति महसूस करती है कि संपर्क अधिकारी कर्मचारी और संगठन के बीच सेतु का काम करता है। इसलिए, वह कर्मचारी की शिकायत को केवल संगठन को अग्रेषित कर सकता है और ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। एमटीएनएल में ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एमटीएनएल द्वारा तय की गई समय सीमा और संगठन में ओबीसी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किस स्तर पर किया जाता है, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि इन कर्मचारियों की शिकायतों को देखने और उनकी शिकायतों का अतिशीघ्र समाधान करने हेतु एससी/एसटी/ओबीसी सेल की स्थापना की गई है। इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों से, ओबीसी कर्मचारियों से बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं और एमटीएनएल में लागू नियमों के अनुसार हल की गई हैं। शिकायतों का निपटान संबंधित इकाई के महाप्रबंधक स्तर पर किया जाता है और यदि इसका निपटान नहीं किया जाता है तो इसे पदानुक्रम में अगले उच्च स्तर अर्थात ईडी/निदेशक (एचआर)/सीएमडी तक भेजा जा सकता है। समिति एमटीएनएल के दावे जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी संघ की अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया गया है,से सहमत नहीं है। इसलिए, समिति ओबीसी कर्मचारियों के लिए समर्पित एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए मंत्रालय से पुरजोर सिफारिश करती है।

नई दिल्ली;

नवंबर, 2022

अग्रहायण, 1944 (शक)

राजेश वर्मा,

सभापति,

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

ANNEXURE-I

Representation of Junior Enginner (erstwhile TTA) exluding CGA apointees

Sl No	Name of Circles	No of JE	OBC Category
1	ALTTC	3	
2	Andaman & Nicobar Telecom Circle	15	7
3	Andhra Pradesh Telecom Circle	207	82
4	Assam Telecom Circle	126	60
5	BBNW Circle	43	14
6	Bihar Telecom Circle	227	118
7	Calcutta Metro District	285	113
8	Chennai Metro District	98	45
9	Chhattisgarh Telecom Circle	37	11
10	Core Network(Tx-East), Kolkatt	102	38
11	Core Network(Tx-NE Region),GHT	62	13
12	Core Network(Tx-North), Delhi	98	33
13	Core Network(Tx-South),Chennai	141	54
14	Core Network(Tx-West) Mumbai	90	30
15	Corporate Office	1	1
16	Gujarat Telecom Circle	340	95
17	Haryana Telecom Circle	306	117
18	Himachal Pradesh Telecom Circl	85	22
19	ITPC Pune	18	3
20	Jammu & Kashmir Telecom Circle	98	25
21	Jharkand Telecom Circle	60	13
22	Karnataka Telecom Circle	123	47
23	Kerala Telecom Circle	233	113
24	Madhya Pradesh Telecom Circle	158	50
25	Maharashtra Telecom Circle	280	100
26	North East - I Telecom Circle	98	9
27	North East - II Telecom Circle	59	15
28	Odisha Telecom Circle	52	9
29	Punjab Telecom Circle	512	149
30	Rajasthan Telecom Circle	253	81
31	Sikkim Telecom Circle	3	
32	Tamil Nadu Circle	196	85
33	Telangana Telecom circle	158	68
34	UP (E) Telecom Circle	220	105
35	UP (W) Telecom Circle	159	53
36	Uttaranchal Telecom Circle	61	18
37	West Bengal Telecom Circle	140	53
	Grand Total	5147	1849

Representation of OBCs	35.92%

ANNEXURE – II

Annexure-II

6.(a). The details of appointments made in MTNL made under various categories of posts as per record as available in is as under:

				No. Of Vacancies reserved for OBC							
Year	Category of posts	Total no. of vacancies occurred	Total no. of vacancies actually filled	Reserved during the year	No. of carried forward vacancies	Total OBC vacancies	Total OBC vacancies actually filled	Shortfall	%age of shortfall	Backlog OBC vacancies	Backlog OBC vacancies filled
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2005	Executives	409	329	110	0	110	91	19	17%		-
2009	Executives	305	192	84	0	84	57	27	32%		-
2016	Executives	66	39	16	0	16	8	8	50%	8*	-
2019	Executives (Non –Technical)	39	18	10	0	10	4	6	60%	6*	-

*Candidates equal to number of posts were selected and called to join MTNL, however, fewer candidates joined MTNL.

ANNEXURE-II

S.No	Name of Circle	Total number of OBC Employees Joined on / after 01.10.2000		
		Executive	Non-Exe.	Total employees
1	ALTTC	16	0	16
2	Andaman & Nicobar Telecom Circ	12	7	19
3	Andhra Pradesh Telecom Circle	484	148	632
4	Assam Telecom Circle	115	145	260
5	BBNW Circle	80	15	95
6	Bihar Telecom Circle	230	239	469
7	Calcutta Metro District	156	132	288
8	Chennai Metro District	187	167	354
9	Chhattisgarh Telecom Circle	97	32	129
10	Core Network(Tx-East), Kolkatt	90	73	163
11	Core Network(Tx-NE Region),GHT	32	37	69
12	Core Network(Tx-North), Delhi	158	80	238
13	Core Network(Tx-South),Chennai	259	62	321
14	Core Network(Tx-West) Mumbai	126	51	177
15	Corporate Office	77	5	82
16	Gujarat Telecom Circle	330	148	478
17	Haryana Telecom Circle	179	138	317
18	Himachal Pradesh Telecom Circl	46	43	89
19	Inspections	52	1	53
20	ITPC Pune	108	3	111
21	Jammu & Kashmir Telecom Circle	69	25	94
22	Jharkand Telecom Circle	133	50	183
23	Karnataka Telecom Circle	313	141	454
24	Kerala Telecom Circle	707	228	935
25	Madhya Pradesh Telecom Circle	146	91	237
26	Maharashtra Telecom Circle	395	185	580
27	Network For Spectrum Circle	1	1	2
28	North East - I Telecom Circle	46	44	90
29	North East - II Telecom Circle	36	38	74
30	Odisha Telecom Circle	112	22	134
31	OUTSIDE BSNL	1	0	1
32	Punjab Telecom Circle	209	172	381
33	Rajasthan Telecom Circle	345	178	523
34	Sikkim Telecom Circle	6	3	9
35	Tamil Nadu Circle	586	148	734
36	Telangana Telecom circle	441	163	604
37	Telecom Factory Jabalpur	0	4	4
38	Telecom Factory Kolkata	1	3	4
39	Telecom Factory Mumbai	2	3	5
40	UP (E) Telecom Circle	458	271	729
41	UP (W) Telecom Circle	200	138	338
42	Uttaranchal Telecom Circle	28	34	62
43	West Bengal Telecom Circle	149	79	228
Grand Total		7218	5547	10765

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) की गुरूवार, 24 मार्च, 2022 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1530 बजे से 1640 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेश वर्मा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री दिलेश्वर कामैत
4. डॉ. संघमित्रा मौर्य
5. श्री अनुभव मोहंती
6. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
7. श्री रामशिरोमणि वर्मा
8. श्री अशोक कुमार यादव
9. श्री चुन्नीलाल साहू

राज्य सभा

10. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
11. श्री टी. के. एस. एलंगोवन
12. श्री नारायण कोरागप्पा
13. श्री जयप्रकाश निषाद
14. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
15. श्रीमती छाया वर्मा
16. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
17. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला

सचिवालय

1.	श्री जे. एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री महेश्वर	-	निदेशक
3.	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव

<u>प्रतिनिधियों की सूची</u>

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री के. राजारमण	सचिव (टी) और अध्यक्ष- डीसीसी
2.	श्री ऐ. के. मित्तल	सदस्य (एस)
3.	श्री राजेश शर्मा	डीडीजी (एसआर एंड ई)

बीएसएनएल/एमटीएनएल

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी. के. पुरवार	सीएमडी, बीएसएनएल/एमटीएनएल
2.	श्री अकमल हसन	जीएम (ईस्ट) और संपर्क अधिकारी (ओबीसी), एमटीएनएल
3.	श्री एस. के. जैन	जीएम (रेडियो) और संपर्क अधिकारी (ओबीसी), बीएसएनएल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने "एमटीएनएल और बीएसएनएल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय पर संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, दूरसंचार विभाग, एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया तथा सभापति ने साक्षियों का स्वागत किया। सभापति ने इच्छा व्यक्त की कि विभाग एमटीएनएल और बीएसएनएल में रोजगार में अन्य पिछड़े

वर्गों के आरक्षण की स्थिति और उनके कल्याण के बारे में समिति को अवगत कराए। सभापति ने एमटीएनएल और बीएसएनएल में सभी पदों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी बल दिया। एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रतिनिधि ने इस विषय पर समिति के समक्ष एक संक्षिप्त पावर पॉइंट प्रस्तुति दी।

2. तत्पश्चात्, समिति के सभापति और सदस्यों ने बीएसएनएल और एमटीएनएल में ओबीसी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण हेतु किये गए उपायों के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए। तदनुसार, प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रमुख प्रश्नों के उत्तर दिए:

(एक) एमटीएनएल और बीएसएनएल में सभी श्रेणियों और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व;

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत कोटे को लागू करना;

(तीन) अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए किये गए प्रयास और विशेष भर्ती अभियान की स्थिति;

(चार) एमटीएनएल और बीएसएनएल में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई निगरानी प्रणाली;

(पांच) अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए कल्याणकारी उपाय;

(छह) आउटसोर्सिंग और संविदात्मक श्रम में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व;

(सात) ओबीसी कर्मचारियों के लिए अलग से संपर्क अधिकारी की नियुक्ति;

(आठ) अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ को कमरों, कंप्यूटरों और अन्य आवश्यक अवसंरचना के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का प्रावधान; और

(नौ) बीएसएनएल और एमटीएनएल में अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ की मान्यता न होने का कारण।

5. समिति ने मंत्रालय, एमटीएनएल और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों को उन प्रश्नों के लिखित उत्तर समिति को यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिनके उत्तर बैठक के दौरान नहीं दिए गए थे या जिन पर अपेक्षित सूचना उस समय उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की शब्दश: कार्यवाही की प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की 15 दिसंबर, 2022 को समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति (2022-23) की बैठक 1530 बजे से 1540 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राजेश वर्मा - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी. आर. बालू
3. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर
4. श्री रमेश बिधूड़ी
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. श्री पी. सी. मोहन
8. डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे
9. श्री रोडमल नागर
10. श्री बालक नाथ
11. श्री चुन्नीलाल साहू
12. श्री चंद्र शेखर साहू

राज्य सभा

13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
15. श्री नारायण कोरागप्पा
16. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
17. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
18. श्री सकलदीप राजभर
19. श्री राम नाथ ठाकुर
20. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्री पुलिन बी. भूटिया	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री महेश्वर	-	निदेशक
3.	श्रीमती नीना जुनेजा	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद, समिति ने निम्नलिखित प्रारुप प्रतिवेदनों को स्वीकार करने के लिए उनपर विचार किया :

(i) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'केनरा बैंक में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'गैस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(iii) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

(iv) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'एमटीएनएल और बीएसएनएल में रोजगार में अ.पि.व. का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय'।

3. समिति ने संक्षिप्त चर्चा के उपरांत उक्त प्रारुप प्रतिवेदनों को स्वीकार किया और सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

***